(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 258/95 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.01.1995 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्र.क्र. 09/93–94 अपील।

1– रामप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण दांगी
2– महेन्द्र पुत्र राधालाल दांगी
निवासीगण ग्राम बीकर तहसील व जिला दतिया

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– हरप्रसाद पुत्र झण्डू दांगी
2– श्रीमती शांति पत्नी हरप्रसाद दांगी
निवासीगण ग्राम बीकर तहसील व जिला दतिया

..... अनावेदकगण

श्री एस.के. वाजपेयी अभिभाषक – आवेदकगण

श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक – अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 23–12–2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदन पत्र मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 09/93–94 अपील में पारित आदेश दिनांक 25.01.95 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2– आवेदक/ अनावेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा अभिलेख का अवलोकन किया ।

3– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्र 1 हरप्रसाद ने संहिता की धारा 113 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दतिया के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि उनके स्वत्व व आधिपत्य की आराजी नं. 108 रकवा 0.76 है0 ग्राम बीकर का नक्शे में रकवा 0.52 है0 (डिसमिल) है। इसलिये नक्शा में संशोधन किये जाने का निवेदन किया। जांच के बाद अनुविभागीय अधिकारी ने प्र.क्र. 1/स/129/88–89 में दिनांक 29.03.90 को आदेश पारित कर आवेदन के अनुसार नक्शा में संशोधन करने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने कलेक्टर दतिया के समक्ष अपील पेश की जो प्र.कं. 4/अपील/92–93 पर दर्ज हुई और आदेश दिनांक 8.7.93 द्वारा अस्वीकार की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की जो आदेश दिनांक 25.01.95 द्वारा निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

4– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5– उभयपक्ष के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हुआ कि अनावेदक हरप्रसाद ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में शासन को पक्षकार बनाकर संहिता की धारा 113 के अंतर्गत आवेदन पेश किया कि उसकी आराजी सर्वे क्र. 108 रकवा 0.76 है0 भूमि का नक्शा गलत बना है अतः नक्शा को संशोधित किया जाये

अनुविभागीय अधिकारी ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया था जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है अधीनस्थ अपीली न्यायालयों ने उक्त तथ्यों पर विचार किये बिना अपने आदेश में यह निश्कर्ष देना कि आवेदकगण हितबद्ध पक्षकार नहीं है अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 113 के अंतर्गत सुनवाई कर नक्शा में सुधार करने का अधिकार था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों एवं आधारों पर विचार किये बिना आदेश पारित किये जाने से किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.1.1995 एवं कलेक्टर दतिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.7.93 व अनुविभागीय अधिकारी दतियाद्वारा पारित आदेश दिनांक 29.3.90 निरस्त किये जातेहैं। तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि सर्वे कं. 109 व 108 के नक्शा की आकृति को दुरूस्त कर सर्वे कं. 109 के नक्शा की पूर्ववत आकृति रकवा अनुसार संशोधित/ सुधार करें।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर